न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./08/2022/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. नारणाराम पुत्र वीरमाराम 2. लिखमाराम पुत्र वीरमाराम 3. दीपाराम पुत्र चिमाराम 4. नोजी पत्नी देदाराम 5. जोगा पुत्र देदाराम 6. मोबता पुत्र देदाराम 7. पुरखा पुत्र धनाराम 8. गोमाराम पुत्र धनाराम 9. विशनाराम पुत्र धनाराम 10. मालु पत्नी धनाराम, जातियान जाट, निवासी रावतसर, तहसील व जिला बाड़मेर।	1. पेम्पो पुत्री हिमताराम, जाति जाट, निवासी रावतसर, तह. व जिला बाड़मेर। 2. श्रीमान तहसीलदार, बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 32/1999 बउनवान मीरो बनाम नारणाराम में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री श्रवण कुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पों. सं. 1 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—25.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 व उसकी माता मीरो की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा रावतसर, तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 353, 364, 391, 362, 363 रकबा 172 बीघा भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के पूर्वज केशरा के समय से नाम थी। केशरा के फौत होने पर उक्त आराजी पर केशरा के पुत्र चिम्मा व हिमथा का संयुक्त रूप से कब्जा—काश्त था, लेकिन चिम्मा ने सेटलमेंट अधिकारियों से मिलवाट कर उक्त आराजी की भूमि का पर्चा लगान अपने अकेले के नाम गलत रूप से जारी करवाया, इसलिये हिमथा की पत्नी मीरो व पुत्री पेम्पो का नाम भी वादग्रस्त आराजी की भूमि में घोषित कर मीरो व पेम्पो की खातेदारी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादीगण से अलग की जावें। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित हुआ जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 व उसकी माता मीरो की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा रावतसर, तहसील बाड़मेर के खसरा संख्या 353, 364, 391, 362, 363 रकबा 172 बीघा भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के पूर्वज केशरा के समय से नाम थी। केशरा के फौत होने पर उक्त आराज़ी पर केशरा के पुत्र चिम्मा व हिमथा का संयुक्त रूप से कब्ज़ा–काश्त था, लेकिन चिम्मा ने सेटलमेंट अधिकारियों से मिलवाट कर उक्त आराजी की भूमि का पर्चा लगान अपने अकेले के नाम गलत रूप से जारी करवाया, इसलिये हिमथा की पत्नी मीरो व पुत्री पेम्पो का नाम भी वादग्रस्त आराजी की भूमि में घोषित कर मीरो व पेम्पो की खातेदारी प्रतिवादीगण से अलग की जावे। जिस पर प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा वादी के उक्त वाद के तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब पेश किया कि अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी चिम्मा की स्वअर्जित भूमि थी, बन्दोबस्त के समय चिम्मा व हिमथा अलग–अलग रहते थे। सेटलमेंट के समय रावतसर की वादग्रस्त आराजी पर मीरो व पेम्पो का कब्जा–काश्त नहीं था जवाबदावा पेश कर तनकीयात कायम कर वादी एवं प्रतिवादीगण के साक्ष्य लेकर दिनांक 19.10.2004 को प्राथमिक डिक्री जारी कर वादीनीगण मीरो वगैरह की वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का सह काश्तकार घोषित कर तहसीलदार, बाड़मेर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अज अदालत के समक्ष अपील पेश की गई जिसे दिनांक 19.10.2005 को खारिज कर दिया गया। अज अदालत के उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय मण्डल में द्वितीय अपील पेश की गई जो दिनांक 03.08.2017 को खारिज हो गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई जिसके विचाराधीन रहते हुए वादी/रेस्पों. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.12.2017 को प्रस्तुत कर हस्तगत वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया था। जिसकी जानकारी अपीलांट/प्रतिवादीगण स्वयं या अपीलांट के अधिवक्ता को नहीं दी गई। जबकि पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री के निर्णय में तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त कर कहीं यह अंकित नहीं किया गया था अपीलांट/प्रतिवादीगण को बिना सुने ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना है। अपीलांट/प्रतिवादीगण को बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवा लिया । जिससे वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध समस्त पक्षकारों को सूचित नहीं करने करने से उपजाऊ आराजी केवल रेस्पों. को प्रदान कर दी गई। मौका कमिश्नर नियुक्त होने के बाद भी तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर आकर विभाजन

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्ताव तैयार नहीं करवाया गया था। विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया है। जो विधि संगत नहीं है। तहसीलदार, बाड़मेर को अपने उक्त अधिकार को संबंधित हल्का पटवारी एवं आर. आई. को हस्तातंरित करने का कोई अधिकार नहीं था। इस के संबंध में विधि/न्यायालय का स्पष्ट मत है कि " Tehsildar should have complied with the orders of the court in person in official capacity. He is not competent to further delegate power of the subordinate official. इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है जो विधि अनुसार रिकार्ड पर लिये जाने योग्य नहीं है। उक्त एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ़ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है जिसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय आपीलांट को बिना सूचना के पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दियां गया। विचारण न्यायालय ने

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। वक्त बहस वकील रेस्पों. ने भी पत्रावली रिमाण्ड किये जाने पर सहमति जाहिर की। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 32/1999 बउनवान मीरो बनाम नारणाराम में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.04.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

25/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/8/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर